राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 83, 84, 85, 86, 87 व 88/2018.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स श्री शर्मा स्टील रोलिंग मिल्स प्रा0लि0, 90ए, झोटवाड़ा, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2018	**खण्डपीठ** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संदीन सोगानी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या एस.–169 से एस.–174/एए–I/स्टे/17–18 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 26, 55, एवं 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.10.2017 के जरिये कायम की गयी मांग राशि के स्थगन के संबंध में धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित सारणीनुसार आंशिक स्वीकार करने को चुनौती दी गयी है ।	

अपील संख्या	क.नि.वर्ष	आरोपित मांग राशि	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4
83/2018	2011–12	21,22,682	**5,97,682/-**
84/2018	2012–13	35,52,915	**9,95,919/-**
85/2018	2013–14	60,12,262	**16,81,262/-**
86/2018	2014–15	25,80,680	**7,18,680/-**
87/2018	2015–16	11,45,288	**3,18,288/-**
88/2018	2017–18	12,01,211	**3,31,211/-**

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधी ने कथन कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 22.07.2016 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण फर्म डायरेक्टर आवास से लूज प्रपत्र एवं एक डायरी जांच दल द्वारा अभिग्रहित की गयी। उक्त प्रपत्रों की ऑडिट के लिये, व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। तत्पश्चात धारा 34 के तहत आदेश रि–ओपन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया गया तथा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सर्वेक्षण में डायरेक्टर के निवास से पाये गये लूज पेपर्स व डायरी के अंकेक्षण एवं जवाब हेतु बार बार समय दिया गया परन्तु कोई जवाब नहीं दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जावे।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 83, 84, 85, 86, 87 व 88 / 2018.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	–: 2 :–	
02.02.2018	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण आदेश के पठन पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि व्यवहारी के विरुद्ध सर्वेक्षण पर करवंचना का वाद स्थापित करने के पश्चात लूज पेपर्स एवं डायरी की अलेखांकित प्रविष्टियों के सत्यापन कराने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अनुपस्थिति के कारण प्रथम बार एकपक्षीय आदेश दिनांक 13.07.2017 को पारित किया गया, जिसे उपायुक्त(प्रशासन) द्वारा धारा 34 में पुनः रि–ओपन कर न्यायहित में समुचित अवसर देकर आदेश पारित करने का आदेश किया, परन्तु दूसरी बार भी व्यवहारी को सुनवाई के कई अवसर देने के बावजूद भी सत्यापन नहीं करवाया गया एवं न ही कोई जवाब पेश किया ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाकर सभी अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें । निर्णय सुनाया गया सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	